उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2–701/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(96)–2013
लखनऊ:: दिनांक:: 30 मई, 2013

शुद्धि–पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गजट में प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–606/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(95)–2013, दिनांक: 22 मई, 2013 के हिन्दी पाठ के खण्ड (ख) में,–

(क) कमांक–7 में शब्द " कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन जिसमें प्रशेर कुकर/कढ़ाई भी सम्मिलित है, सिरैमिक वेयर्स तथा ग्लास वेयर्स, कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगटस (गुल्ली) एवं कोरा माल; चम्मच।" के स्थान पर शब्द " कीमती धातुओं से बने बर्तनों के अतिरिक्त अन्य समस्त बर्तन जिसमें प्रेशर कुकर/कढ़ाई भी सम्मिलित है, सिरैमिक वेयर्स तथा ग्लास वेयर्स, कलात्मक पीतल के सामान एवं इंगट्स (गुल्ली); चम्मच।" पढ़ा जाय।

तथा

(ख) कमांक–52 में शब्द " अनाज जिसमें धान, चावल, गेहूँ एवं दालें सम्मिलित हैं; मटर से निर्मित बेसन। " के स्थान पर शब्द " अनाज जिसमें धान, चावल, गेहूँ सम्मिलित हैं; मटर से निर्मित बेसन। " पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

30/5/13

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।